



समक्ष में माननीय राजस्व मण्डल, छतरपुर म.प्र।
पुनरीक्षण क्रमांक I/निमानी/छतरपुर म.प्र/2017/1749
२१

उर्गेश दुवे तनय श्री किशोरी लाल दुवे

(निवासी - छतरपुर तहसील व निला - छतरपुर म.प्र)
क्रमांक अंगठी अमावस्या

12-6-17

निमिनिकृत / आवदेक

12-6-17

बनाम

मध्य प्रदेश शासन गैरनिगरानीकर्ता

/ अनावदेकपुनरीक्षण विरुद्ध आदेश दिनांक 19/5/17 जो 19/05/17

छतरपुर छारा ममाला क्रमांक 53/अक्ट्री/2016-2017 को पारित किया।

श्रीमान्,
गवालपुर

12-6-17

पुनरीक्षणकर्ता निमिनिलिरिवत निवेदन सादर प्रस्तुत करना
है:-

१-यह कि पुनरीक्षणकर्ता का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि
आवदेक को सक्षम अधिकारी नायव तहसीलदार छतरपुर छारा दिनांक
20/11/1976 को नामांतरण पंजी क्रमांक 22 वर्ष 1975-76 के छारा
भूमि रखसरा नं. 841 के अंश भाग का गैर हकदार से भूमि स्वामी
किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन ग्राम पटवारी छारा
अपने कर्तव्यों का निर्वाहन न कर उक्त आदेश दिनांक 20/11/1976
का अमल राजस्व अभिलेखों में नहीं किया बल्कि मनमाने रूप से
शासन म.प्र भूमि पर वगैरे किसी समक्ष अधिकारी के आदेश के लोक
कर दी।

उमेश कुमार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग—अ

२

प्रकरण क्रमांक निग.—1749—एक / 2017

जिला—छतरपुर

उमेश विरुद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१०—१०—१८	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री सुनील जादौन एवं शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित।</p> <p>(2) आवेदक अभिभाषक अपने निगरानी आवेदन को चालाना नहीं चाहते हैं, उनके द्वारा Not press of Application का अनुरोध किया है।</p> <p>(3) शासकीय अभिभाषक को उक्त अनुरोध पर आपत्ति नहीं है।</p> <p>(4) दिनांक 07.09.2017 की आदेश पंजिका अनुसार आवेदक का आवेदन ग्राह्य किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मांगा गया था, जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं होने के कारण नस्ती में सलग्न नहीं है।</p> <p>(5) आवेदक अभिभाषक के अनुरोध को स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>(6) अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख नहीं भेजने हेतु भी लिखा जाये।</p>	<p>१०—१०—१८</p> <p>(आर.के. जैन) सदस्य</p>